

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अवर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विही अनुमति याद सं०-19/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री मधुरा बिन्दु — विक्रेता
प्रति
श्रीमती मंजू देवी — क्रेता
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक (विक्रेता) श्री मधुरा बिन्दु, पिता-स्व० जुगही बिन्दु, ग्राम-सोनपुरवा, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति-श्री राकेश पात्र, ग्राम-तिलदान, पोस्ट-तिलदान, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर काराकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुसंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार गढ़वा के पत्रांक 223/दिनांक 11.07.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कामजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कामजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के स्वयं के नाम से मांग पंजी 11 के पृष्ठ सं०-16/17 पर चलता है। विक्रेता जाति के बिन्दु (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के पात्र गढ़री (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।


अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुसंसा के आलोक में आवेदक (विक्रेता) श्री मधुरा बिन्दु, पिता-स्व० जुगही बिन्दु, ग्राम-सोनपुरवा, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्रीमती मंजू देवी, पति-श्री राकेश पात्र, ग्राम-तिलदान, पोस्ट-तिलदान, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर काराकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।


भूमि का विवरण:-

| ग्राम | थाना सं० | खारा सं० | प्लॉट सं० | रकबा (एकड़ में) | घोहरी |
|------------|----------|----------|-----------|-----------------|--|
| सोनपुरवा | 242 | 214 | 530 | 0.03¼ | उ०-अरुण पात्र, द०-रस्ता, पू०-जय प्रकाश शर्मा, प०-रस्ता, |
| कुल रकबा:- | | | | 0.03¼ | |

आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


अवर समाहर्ता,
गढ़वा


अवर समाहर्ता,
गढ़वा